

417



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2014/श्रावण 9, 1936

No. 394]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2014/SHRAVANA 9, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा 2 के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, योधक सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, योधक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 में स्तंभ (7) के अधीन हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पद के सामने कम संख्यांक 2 में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताओं से संबंधित प्रविष्टि (ii) में "कंप्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति से; कंप्यूटर पर हिन्दी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों और अंको को रखा जाए, अर्थात् :-

"कंप्यूटर पर न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण या कंप्यूटर पर न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण"

[फा. सं. 17/149/2013—कार्मिक/सीसुबल]

शान्तनु, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :-मूल नियम और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ) तारीख 08 अप्रैल 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2014

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2013, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2013, against the post of Head Constable (Ministerial) at serial number-2, under column (7) relating to Educational and other qualifications required for direct recruits, in entry (ii), for the words and figures “English Typing with minimum speed of 35 w.p.m on computer; Hindi Typing with minimum speed of 30 w.p.m on computer”, the following words and figures shall be substituted, namely :—

“English Typing with minimum speed of 35 words per minute on computer; or Hindi Typing with minimum speed of 30 words per minute on computer”

[F. No.17/149/2013-Pers/BSF]

SHANTANU, Director (Personnel)

Note :— The principal rules were published *vide* notification number G.S.R 206(E), dated the 8th April, 2013.